

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर



क्रमांक :- प1(1)कार्मिक/निजी.चिकि./31/2017/1268

दिनांक:- 8/8/17

-:: कार्यालय-आदेश ::-

राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक मण्डल की 234वीं बैठक के निर्णय विन्दु संख्या 234.3 की अनुपालना में राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कार्मिकों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है :-

क्र. सं.	चिकित्सालय का नाम व पता	मण्डल कार्मिकों को देय छूट	अन्य विवरण
1.	योगाश्रय सेवायतन (नैचुरोपैथी एवं योगा मेडिटेशन सेन्टर), केशोपुरा, भांकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर-26, 97729-47555, 97729-56555	-	कार्मिकों द्वारा आउटडोर सुविधा तथा इनडोर हेतु अकोमोडेशन प्लान सहाजानन्दा (जनरल वार्ड) में चिकित्सा सुविधा प्राप्त की जा सकेगी।
2.	मेडीपल्स हॉस्पिटल, वासनी फेज-II, जोधपुर-342005 0291-2740740, 2741741, 8239999294	चिकित्सालय दरों पर 10% On OPD/Investigations/ IPD Procedures (Except pharmacy and consumable) & 5% On IPD Packages	

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(विश्व मोहन शर्मा)
08.08.17
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/ आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-मु./I/II, रा0आ0म0, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. निदेशक विधि/अति. मुख्य/नगर नियोजक/मुख्य संपदा प्रबंधक/उप सचिव/वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक/संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) रा.आ.मण्डल, जयपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त वृत्त-...../आवासीय अभियन्ता, मण्डल-.....।
6. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. लेखाधिकारी (भुगतान/पेंशन)/एसीआर/गोपनीय प्रकोष्ठ, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
8. संबंधित चिकित्सालय-.....
9. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

(अशोक)
वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक